

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019-पौष 6, शके 1941

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, Ram Bhooshan Pandey S/o Shri Deenanath Pandey, Age 29 yrs., R/o Village & Post-Bairiha, Distt. Satna (M.P.) declare that as per original documents my name is RAM BHOOSHAN PANDEY S/o SHRI DEENANATH PANDEY. I wish to change my name from RAM BHOOSHAN PANDEY to RAM PANDEY. In future my name will be known, read and write as RAM PANDEY for all purpose.

Old Name :

( RAM BHOOSHAN PANDEY )

S/o Shri Deenanath panday.

New Name :

( RAM PANDEY )

S/o Shri Deenanath Pandey,  
R/o Village & Post-Bairiha,  
Distt. Satna (M.P.).

(884-B.)

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी से पहले नेहा लाम्बा (NEHA LAMBA) पुत्री श्री संजीव लाम्बा था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती नेहा सिंह (NEHA SINGH) पत्नी श्री अभिनव सिंह, निवासी 717, गार्डन पैलेस, ग्वालियर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे नेहा सिंह (NEHA SINGH) पत्नी श्री अभिनव सिंह के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में नेहा सिंह अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

( नेहा लाम्बा )

( NEHA LAMBA )

पुत्री-श्री संजीव लाम्बा.

नया नाम :

( नेहा सिंह )

( NEHA SINGH )

पत्नी-श्री अभिनव सिंह,  
निवासी-717, गार्डन पैलेस, ग्वालियर.

(885-बी.)

**CHANGE OF NAME**

I, SHILPA DARYANI changed my name to after marriage ISHA KHUBANI W/o JITENDRA KHUBANI and now I would be known as ISHA KHUBANI W/o JITENDRA KHUBANI.

Old Name :

( SHILPA DARYANI )

(886-B.)

New Name :

( ISHA KHUBANI )  
W/o Jitendra Khubani,  
Add-11, Sarvoday Nagar,  
Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूरा और सही नाम रंजीता पथरिया है, किन्तु मेरे पति अनिल सुरेश के सेवा संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम उपनाम रहित केवल रंजीता लिखा हुआ है. अतः मेरे पति के सेवा से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों में मुझे मेरे पूरे नाम उपनाम सहित रंजीता पथरिया से ही लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( रंजीता )  
(Ranjita)

(887-बी.)

नया नाम :

( रंजीता पथरिया )  
(Ranjita Pathariya)  
H.No.-64, Bheshlay, Teh.-Mhow,  
Distt.-Indore M.P. Pin-453441.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रीता सेंडे था, जिसे शादी के बाद बदलकर गायत्री विजय महाडोले कर लिया था. किन्तु अब पुनः मैंने अपना नाम रीता विजय महाडोले कर लिया है. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम रीता विजय महाडोले से ही लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( रीता सेंडे/गायत्री विजय महाडोल )  
( RITA SHENDE/GAYATRI VIJAY MAHADOLE )

(888-बी.)

नया नाम :

( रीता विजय महाडोल )  
( RITA VIJAY MAHADOLE )  
73, शुभम पैलेस स्कीम नं. 51,  
इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, HARISH CHNAND KUSHWAH S/o SHRI KHACCURAM KUSHWAHA सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा नाम HARISH CHAND KUSHWAH था. जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में गलती से मेरा नाम HARISH CHANDR KUSHWAH अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम HARISH CHAND KUSHWAH लिखा है एवं वर्तमान में मुझे HARISH CHAND KUSHWAH के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम HARISH CHAND KUSHWAH के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम HARISH CHANDR KUSHWAH के स्थान पर सही नाम HARISH CHAND KUSHWAH लिखा एवं पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( HARISH CHANDR KUSHWAH )

(889-बी.)

नया नाम :

( HARISH CHAND KUSHWAH )  
चंद्र नगर कोटेश्वर मार्ग गिर्द,  
ग्वालियर ( म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमति महक बेलानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम रेखा लखवानी पुत्री श्री नानिकराम लखवानी (REKHA LAKWANI D/o NANIKRAM LAKWANI) था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 08-06-2003 को श्री सचिन बेलानी

के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमति महक बेलानी पत्नी श्री सचिन बेलानी (SMT. MAHAK BELANI W/O SACHIN BELANI) हो गया है तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( रेखा लखवानी )

(890-बी.)

नया नाम :

( महक बेलानी )

निवासी-मकान नंबर-बी-09,  
ओल्ड नव युवक सभा के पीछे बैरागढ़,  
तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. निधि रौनक सहिता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम निधि ज्ञानचंदानी पुत्री हरीश ज्ञानचंदानी (NIDHI GYANCHANDANI D/O HARISH GYANCHANDANI) था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 07-12-2019 को श्री रौनक कुमार सहिता के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम डॉ. निधि रौनक सहिता पत्नी श्री रौनक कुमार सहिता (Dr. NIDHI ROUNAK SAHITA W/O ROUNAK KUMAR SAHITA) हो गया है, तथा भविष्य में भी इसी नाम डॉ. निधि रौनक सहिता पत्नी श्री रौनक कुमार सहिता (Dr. NIDHI ROUNAK SAHITA W/O ROUNAK KUMAR SAHITA) के नाम से ही जानी, पहचानी जाऊँगी तथा मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक, शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम (Dr. NIDHI ROUNAK SAHITA W/O ROUNAK KUMAR SAHITA) अंकित किया जाये, भविष्य में भी मुझे डॉ. निधि रौनक सहिता पत्नी श्री रौनक कुमार सहिता के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( निधि ज्ञानचंदानी )

(891-बी.)

नया नाम :

( निधि रौनक सहिता )

निवासी-भाग्य विला, 174 नीलकंठ कॉलोनी,  
ईदगाह हिल्स, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, देवी सिंह नामदेव पुत्र श्री मित्थू नामदेव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम देवीसिंह था. जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक, एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम देवी सिंह नामदेव पुत्र श्री मित्थू नामदेव अंकित है एवं वर्तमान में मुझे देवी सिंह नामदेव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा देवी सिंह एवं देवी सिंह नामदेव मेरे ही नाम है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम देवी सिंह नामदेव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम देवी सिंह के स्थान पर सही नाम देवी सिंह नामदेव लिखा एवं पढ़ा जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( देवी सिंह )

(892-बी.)

नया नाम :

( देवी सिंह नामदेव )

पुत्र-श्री मित्थू नामदेव,  
निवासी-शासकीय विद्यालय के पास भीम नगर,  
डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, रामकृष्ण शंखवार पुत्र श्री रामसेवक शंखवार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बचपन का बोलता नाम रामकृष्ण था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम रामकृष्ण अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम रामकृष्ण शंखवार अंकित है एवं वर्तमान में मुझे रामकृष्ण शंखवार के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम रामकृष्ण शंखवार के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम रामकृष्ण शंखवार अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( रामकृष्ण )

(893-बी.)

नया नाम :

( रामकृष्ण शंखवार )

निवासी-सुसमा सदन, चन्द्र नगर,  
कोटेश्वर रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पुराना नाम जोहर हाफिज पुत्र शेख अब्बास भाई था. जो मेरे परिवार के समस्त दस्तावेजों में लिखा गया है जबकि मेरे द्वारा अपना नया नाम जोहर अली पुत्र शेख अब्बास भाई, निवासी बंगला नंबर 49, नीमच कर लिया है, वर्तमान में मुझे जोहर अली पुत्र शेख अब्बास भाई के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा हस्ताक्षर करता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम जोहर अली पुत्र शेख अब्बास भाई के नाम से ही जाना, पहचाना जाऊंगा. अतः मेरे सभी परिवारिक एवं समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में मेरा नाम जोहर हाफिज पुत्र शेख अब्बास भाई के स्थान पर जोहर अली पुत्र शेख अब्बास भाई लिखा एवं पढ़ा जाये तथा पहचाना जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( जोहर हाफिज )

पुत्र-श्री शेख अब्बास भाई.

(894-बी.)

नया नाम :

( जोहर अली )

पुत्र-श्री शेख अब्बास भाई,  
पता-बंगला नं. 49, वीर पार्क रोड,  
नीमच केन्ट 458441.**नाम परिवर्तन**

मैं, रेशमा कुशवाह पुत्री श्री ब्रजेन्द्र सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम करिश्मा था. जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम रेशमा कुशवाह अंकित है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम रेशमा कुशवाह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200252920 में मेरा बचपन का नाम करिश्मा लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200252920 में मेरा सही नाम रेशमा कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( करिश्मा )

(895-बी.)

नया नाम :

( रेशमा कुशवाह )

पुत्री-श्री ब्रजेन्द्र सिंह कुशवाह,  
पता-सी-ब्लॉक, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सूचित हो कि मेरा नाम शशि पिता स्व. श्री सत्यपाल पाहवा था जो बाद में विवाह उपरांत परिवर्तित होकर “ पूनम पति हेमन्त चौपड़ा ” हो गया है तथा मुझे पूनम पति हेमन्त चौपड़ा के नाम से जाना जाता है.

पुराना नाम :

( शशि )

(896-बी.)

नया नाम :

( पूनम )

पति-हेमन्त चौपड़ा  
पता- 60, उत्कर्ष विहार, खजराना, इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

यहकि मेरा पूर्व में नाम अली अब्बास कालीयावाला था अब मेरा नाम अली अब्बास शहजाद हो गया है तथा वर्तमान में मेरा नाम अली अब्बास शहजाद है. अतः भविष्य में मुझे अली अब्बास शहजाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( अली अब्बास कालीयावाला )

(897-बी.)

नया नाम :

( अली अब्बास शहजाद )

पिता- सलीम शहजाद कालीयावाला,  
पता- मकान नं. 224/1, वार्ड नं. 27, जमातखाना रोड,  
दाउदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मीरू है. जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे बेटे अकील पटेल के पेनकार्ड में मेरा नाम गलती से मीर मोहम्मद लिखा गया है. जिसे मीरू पटेल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( मीर मोहम्मद )

(904-बी.)

नया नाम :

( मीरू पटेल )

409, बायपास रोड, मुडला नायता,  
इन्दौर (म.प्र.).

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स साक्षी स्टील एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक IF/128/98-99, दिनांक 15-12-1998 से एक भागीदारी फर्म है, उक्त भागीदारी फर्म में से दिनांक 14-11-2019 से श्री रवीकान्त बंसल अपनी स्वेच्छा से फर्म से सेवा निवृत्त हो गये हैं. और इसी दिनांक से श्री संजय मित्तल जी नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. अब इस फर्म का संचालन श्री महेश प्रसाद मित्तल जी एवं श्री संजय मित्तल जी कर रहे हैं. उक्त भागीदारों ने आपसी सहमती से फर्म के रजिस्टर्ड पते-208, न्यू लोहा मण्डी, इन्दौर में परिवर्तन कर फर्म का नया पता-बी-33, न्यू लोहा मण्डी, स्कीम नं. 78, पार्ट-1, देवास नाका, इन्दौर मध्यप्रदेश कर लिया है.

वास्ते-मेसर्स साक्षी स्टील,  
महेश प्रसाद मित्तल जी,  
(भागीदार).

(898-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स थर्मो नाइन इंडस्ट्रीज फर्म जिसका पता-8, मंगल नगर (एन. एक्स.) सुखलिया, इन्दौर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00189/13, दिनांक 26-12-2013 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री सुखवीर सिंह पिता श्री ओमकार सिंह, 2. श्री शंकर किंगे पिता श्री सुधाकर किंगे, 3. श्री कैलाश पाटिल पिता श्री बाबुराव पाटिल एवं 4. श्री विवेक कुमार धनोतिया पिता श्री पहाड़ सिंह धनोतिया थे. तत्पश्चात् दिनांक 07-11-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री विवेक कुमार धनोतिया पिता श्री पहाड़ सिंह धनोतिया भागीदारी फर्म मेसर्स थर्मो नाइन इंडस्ट्रीज से पृथक् हो गये हैं. भागीदार ने फर्म मेसर्स थर्मो नाइन इंडस्ट्रीज से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है. तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे-मेसर्स थर्मो नाइन इंडस्ट्रीज,  
1. श्री सुखवीर सिंह,  
2. श्री शंकर किंगे,  
3. श्री कैलाश पाटिल,  
(भागीदार).

(899-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रास बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, चाणक्यपुरी, राज वाटिका के पीछे, जे. पी. पडरा, तह. हुजूर, जिला रीवा का पंजीयन क्रमांक 0068/13-14, दिनांक 20-06-2013 पर पंजीकृत फर्म है उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्रीमती विनीता तिवारी, श्री अनुरुद्ध प्रसाद तिवारी, श्री आशीष तिवारी, श्रीमती रूपा तिवारी, श्री संजय सोनी, श्रीमती ज्योत्सना सोनी, श्री अजय तिवारी व श्रीमती पूजा तिवारी भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 30-07-2017 को श्रीमती विनीता तिवारी, श्री अनुरुद्ध प्रसाद तिवारी, आशीष तिवारी, श्रीमती रूपा तिवारी, श्रीमती ज्योत्सना सोनी व श्रीमती पूजा तिवारी फर्म के भागीदार से पृथक् हो गये और उसी दिनांक को श्री राकेश कुमार तिवारी फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

मेसर्स रास बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,  
आशीष तिवारी,  
(भागीदार)

पता- चाणक्यपुरी, राजवाटिका के पीछे,  
जे. पी. रोड, पडरा, तहसील हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.).

(900-बी.)

**NOTICE**

This is to inform to all concerns that Shri Vikas Bohra S/o Shri Jothmal Bhojra and Shri Vinay Jain S/o Shri Ramesh Chand Jain Both Resident of Rajnandgaon (C.G.) 492441, Who were partners in GM SANMAN ASSOCIATES satna (M.P.) vide original Partnership deed dated 18-02-2014 have Retired From the Firm at their own desire w.e.f. 01-12-2017 and Shri Vinod Kumar Bohra and Shri Rahul Bohra both Son of Shri Jethmal Bohra were admitted to the Partnership vide reconstituted Partnership deed dated 01-12-2017.

FOR-G M SANMAN ASSOCIATES,  
VINAY KUMAR GOEL,  
(Partner).

Add- City Center, Virat Nagar,  
Panna Road, Satna.

(901-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स गौरव इंटरप्राइजेज जिसका पंजीयन 108/11, दिनांक 19-07-2011 जो 23-बी, मुरार इन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर में स्थित है जिसमें दिनांक 16-03-2016 को (1) संजय कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रूपचन्द्र जैन, नि. महावीर चौक, भिण्ड, मध्यप्रदेश, (2) अभिलाख सिंह पुत्र स्व. श्री मोहरमन सिंह यादव, नि. अटेर रोड, भिण्ड मध्यप्रदेश, (3) सुमित जैन पुत्र श्री जयप्रकाश जैन, नि. सदर बाजार, भिण्ड मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। एवं दिनांक 24-02-2019 को भागीदार अभिलाख सिंह पुत्र स्व. श्री मोहरमन सिंह यादव, नि. अटेर रोड, भिण्ड मध्यप्रदेश की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 24-02-2019 को श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी स्व. श्री अभिलाख सिंह यादव, नि. अटेर रोड, भिण्ड फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल हो गई हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मेसर्स गौरव इंटरप्राइजेज,

**सत्यवीर सिंह,**

(भागीदार)

23-बी, मुरार इन्क्लेव, गोले का मंदिर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(902-बी.)

### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Shree Vaishnavi Builders a registered partnership firm (Regn. No-04/18/01/0139/16) having office at First Floor, Mahaveer Madiya, Mishra Complex, Durga Wadi, Shop No.5, Seoni, Constitution of the firm was changed due to death of Shri Amit Kumar Rokade and joining of Smt Madhuri Rokade as a partner.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s Shree Vaishnavi Builders,

**RAJKUMAR SANODIYA,**

(Partner).

(903-B.)

### विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर**

रा.प्र. क्र. 05/बी-113(4)/2019-20.

#### प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक "नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान" शारदेय 1487, आनंद कुंज इंदिरा गांधी वार्ड गढ़ा, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनाता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारिता प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : "नानाजी देशमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान" शारदेय 1487, आनंद कुंज इंदिरा गांधी वार्ड गढ़ा, जबलपुर (मध्यप्रदेश).

2. चल सम्पत्ति : निरंक.  
 3. अचल सम्पत्ति : निरंक.  
 4. न्यास की आय का स्रोत : दाने से, भेंट से.

जारी दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

(1139)

आशीष पाण्डेय,  
 पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास, पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर**

प्र.क्र.0002/2019-20/बी-113.

श्योपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यतः श्री बाबूलाल नागर मुख्य प्रबंधक (ट्रस्टी) गायत्री पञ्जा पीठ बड़ोदा, जिला श्योपुर द्वारा ट्रस्टी श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट बड़ोदा, जिला श्योपुर को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 06 जनवरी, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची:-** लोक न्यास का नाम-ट्रस्ट श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट कस्बा बड़ोदा में स्थित वार्ड नंबर 8, नजर निवास बाग में एक पुख्ता मंदिर जिसका एरिया 194.23 वर्ग मीटर बना हुआ तथा 142.37 वर्गमीटर खुला भाग जिस पर गायत्री परिवार ट्रस्ट का मंदिर व कार्यालय प्रस्तावित है.

**चल संपत्ति में**

**:-** बैंक खाता क्रमांक 683505013186 जो श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट बड़ोदा, जिला श्योपुर के नाम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., मुरैना, शाखा बड़ोदा, जिला श्योपुर में होकर जिसमें 50,779/- (पचास हजार सात सौ उनयासी रुपये) वर्तमान में जमा हैं. इसके अतिरिक्त अलमारी, लायब्रेरी की पुस्तकें, संदूक लोहे का बर्तन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक सामान पंखा, कूलर इन्वेंटर आदि, कुर्सियां, मूर्ति व उनके आभूषण हैं. चल-अचल संपत्ति का प्रकलित मूल्य लगभग 50,00,000/- (पचास लाख रुपये).

(1140)

रूपेश उपाध्याय,  
 अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पब्लिक रजिस्ट्रार, भिण्ड**

प्र. क्र.4/2019-20/बी-113/1509.

भिण्ड, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

**फार्म-4**

[नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 में नियम-5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि आनंदकुमार पुत्र स्व. गुलाबचंद्र जैन अध्यक्ष, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर परमार्थ न्यास (स्व. श्री गुलाबचंद्र नाथूराम जैन की स्मृति में) कस्बा ऊमरी, जिला भिण्ड के नाम से पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2020 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

ट्रस्ट का नाम : आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर परमार्थ न्यास  
 (स्व. श्री गुलाबचंद्र नाथूराम जैन की स्मृति में)  
 कस्बा ऊमरी, जिला भिण्ड.

अचल सम्पत्ति	:	कस्बा ऊमरी में स्थित सर्वे क्रमांक 2072 रकवा 0.230, 2133 मिन-1 रकवा 0.370, 2134 रकवा 0.360 कुल कित्ता 03 कुल रकवा 0.06 हैक्टर उपरोक्त सर्वे नम्बरान में रोड साईड में जो व्यवसायिक दुकानें बनेगी उनका 1/2 भाग न्यास की व्यवस्था के लिये रहेगा.
चल सम्पत्ति	:	निरंक है.

इकबाल मोहम्मद,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1141)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास अनुविभाग, पंधाना**

प्र.क्र. 01/बी-113/2019-20.

दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

**“प्रारूप-चार”**

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि संतोष पिता श्री रामलाल राठौर कार्यकारी न्यासी, राठौर समाज मांगलिक भवन न्यास नगर पंधाना, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रारूप क्रमांक (03) 3 नियम-4(2) में प्रस्तुत कर पंधाना स्थित राठौर समाज मांगलिक भवन न्यास नगर पंधाना, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा का गठन व पंजीयन बाबद् निवेदन किया गया हैं एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

**अनुसूची**

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	राठौर समाज मांगलिक भवन न्यास नगर पंधाना, तहसील पंधाना.
चल सम्पत्ति	: नगद राशि 1,40,000/- रु. (अक्षरी एक लाख चालीस हजार मात्र).
अचल सम्पत्ति	: 1. समाज के वर्तन मूल्य लगभग 50,000/-रु. (अक्षरी पचास हजार रुपये मात्र) 2. गाँधी चौक पंधाना में राठौर समाज के नाम से नगर परिषद् पंधाना की डिमांड पंजी. क्र. 05/67 पर दर्ज पड़त प्लाट जिसका मूल्य 15,00,000/-रु. 3. राठौर समाज के नाम से नगर परिषद् पंधाना की डिमांड पंजी क्र. 12/77 पर दर्ज पुराना सामाजिक भवन निर्माण हेतु दान में दी गयी संपत्ति 1875 वर्गफिट (25x75) जिसका मूल्य 10,00,000/-रु. 4. अनुमानित वार्षिक आय 45,000/-रु. 5. अनुमानित वार्षिक आय 45,000/-रु.

अनुभा जैन,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1142)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, मल्हारगंज, इंदौर**

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला पिता स्व. श्री दुर्गाप्रसाद शुक्ला, निवासी 94, बाणगंगा मेनरोड, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा “श्री कुपात्रवादी मोनी बाबा आश्रम, धार्मिक पारमार्थिक एवं चैतन्य हनुमान मंदिर ट्रस्ट” पता-कुपात्रवादी मोनी बाबा आश्रम, चैतन्य हनुमान मंदिर ग्राम नरवल सांवेर रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री कुपात्रवादी मोनी बाबा आश्रम, धार्मिक पारमार्थिक एवं चैतन्य हनुमान मंदिर”
पता	:	कुपात्रवादी मोनी बाबा आश्रम, चैतन्य हनुमान मंदिर ग्राम नरवल सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 38,000.00 (अक्षरी रुपये अड़तालीस हजार मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राकेश शर्मा,  
रजिस्ट्रार.

(1143)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट बिचौली हप्सी क्षेत्र, इंदौर

#### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदकगण ट्रस्टी श्री राजाराम चौधरी पिता अम्बाराम चौधरी, निवासी ग्राम दुधिया, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर व अन्य 11 द्वारा “अखिल भारतीय श्री चंद्रवंशी निखर पुर्बिया गारी (चौधरी) समाज ट्रस्ट, पता ग्राम दुधिया, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“अखिल भारतीय श्री चंद्रवंशी निखर पुर्बिया गारी (चौधरी) सामाज ट्रस्ट.
पता	:	ग्राम दुधिया, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 60,555/- है. (अक्षर में साठ हजार पाँच सौ पचपन मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे,  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1144)

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड आलोट, जिला रतलाम

प्र.क.01/ब-113/2019-20

जावरा, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

#### प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम-5(1) ]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951(एक) का अधिनियम तीसवां की धारा 5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5(1)अनुसार]

क्र./ /रीडर-1/19.— चूँकि श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ राजेन्द्र सूरी ट्रस्टी खारवाकला, तहसील ताल द्वारा अध्यक्ष श्री संजय कुमार

पिता रमेशचन्द्र जी भण्डारी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 अनुसार नीचे दर्शाई गई संपत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी।

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या ऐजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों।

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अधिसूची

1. ट्रस्ट का नाम : श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ राजेन्द्र सूरी ट्रस्टी खारवाकला, तहसील ताल, जिला रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : (1) ग्राम पंचायत खारवाकला, तहसील आलोट के अधिकारी क्षेत्र में स्थित मन्दिर भवन जो कि 40 फिट चौड़ा होकर 137 फिट लम्बा होकर उक्त भवन के पूर्व में- मदनलाल पोरवाल का मकान, पश्चिम में-माणकलाल का मकान, उत्तर में-आम रास्ता व दक्षिण में मेन रोड है.  
(2) ग्राम पंचायत खारवाकला स्थित भवन जो कि ज्ञान मन्दिर के नाम से जाना जाता होकर जिसकी चौड़ाई 17 फीट होकर लम्बाई 51 फिट है। उक्त भवन में बोहरा जी का मकान, पश्चिम में-भेरूसिंह का मकान, उत्तर में-आम रास्ता तथा दक्षिण में-शासकीय गली स्थित है.
3. चल संपत्ति : (1) श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ राजेन्द्र सूरी ट्रस्ट खारवाकला, तहसील ताल की जमा धनराशि का विवरण-  
(अ) इलाहाबाद बैंक, शाखा खारवाकला में संचालित बचत खाता क्रमांक 22507613770 में जमा धनराशि रुपये 4,36,722/- एवं ब्याज.  
(ब) भगवान की आंगी 01, नग वजनी 2 किलो 550 ग्राम.  
(स) भगवान के मुकुट 03 नग वजनी 950 ग्राम कुण्डल 03 नग वजन 250 ग्राम, छत्र 02 नग वजन 600 ग्राम.

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

(1180)

सी. एस. सोलंकी,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर, जिला धार

बदनावर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

फार्म नम्बर-3

[ देखिये नियम-4(2) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बदनावर ]

समक्ष:- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट बदनावर, जिला धार.

क्र./447/रीडर-1/2019.— चूँकि ट्रस्ट "मानवता मिशन ट्रस्ट बदनावर" में इस नोटसी के शुद्धयूल के दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बावद् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, याद रखे की उपर दिए हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बावद् कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें, और मेरे समक्ष दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेंगी.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	मानवता मिशन ट्रस्ट बदनावर.
चल सम्पत्ति	:	11000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

(1181)

नेहा साहू,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय परिसमापन एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/1926/होशंगाबाद दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में होने के कारण धारा-70(1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इकलानी	3206/11-06-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पतलईकला	3107/22-05-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोनखेड़ी	3201/09-06-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लोहारियाकला	3141/16-10-2014
5.	नर्मदा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सिवनीमालवा	2903/12-12-2006
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भरलाय	2135/26-08-1982
7.	चामूण्डा साख सहकारी समिति मर्यादित, बनखेड़ी	3310/29-10-2016
8.	मां शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर	3344/29-10-2016
9.	जय भवानी साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया	3318/29-10-2016
10.	जनकल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, मूढ़ापार	2337/17-09-1990
11.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, लोखरतलाई	1615/23-09-1958

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा(क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1145)

आर. के. मेहरा,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर के संशोधित

आदेश क्रमांक 952, दिनांक 01 मई, 2019 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन मे लाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीपति शीतगृह सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1913/03-09-1998	2552/31-03-2011
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	117/05-03-1970	221/11-01-1995
3.	हैदय छत्रीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	235/21-06-1979	4695/07-10-2003
4.	हरिजन सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, जगजीवनराम सिमरोल.	120/18-08-1963	4039/25-07-2002
5.	सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, रंगवासा देपालपुर	140/24-02-1953	472/04-02-2008
6.	प्राथमिक वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्यादित, असरादद	65/05-06-1960	1788/25-11-1967
7.	संग्रह वनोपज संग्रह सहकारी संस्था मर्यादित, बैरहा	113/05-12-1960	4451/21-07-1965

अतः मैं, आर. एस. गरेठिया, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एस. गरेठिया,  
परिसमापक.

(1146)

### कार्यालय परिसमापक, जय गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

जय गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./आय.डी.आर/696, इन्दौर, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्र/परि/2019/2295, इन्दौर दिनांक 26 अगस्त, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेशक, जिला इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर जेल रोड, 123 देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने क दायित्वाधीन होंगे.

यह निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एम. श्रीवास्तव,  
परिसमापक एवं उप-अंकेशक.

(1147)

**कार्यालय परिसमापक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम**

रतलाम, दिनांक 01 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q/1.-निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, रत्तागढखेडा	266/28-05-1981	262/ 03-02-2017 सं. आ. 2778/20-12-2018
2.	अल्कापुरी साख सह. संस्था मर्यादित, रतलाम	729/1 25-09-1998	372/ 01-05-2014 सं. आ. 2779/20-12-2018
3.	बालाजी बीज उत्पादन सह. संस्था मर्यादित, रानीसिंग	998/01-05-2015	324/ 03-02-2017 सं. आ. 2778/20-12-2018
4.	अनामिका नमकीन एवं मसाला उद्योग सह. संस्था मर्यादित, रतलाम.	789/20-04-2004	994/ 03-11-2014 सं. आ. 2779/20-12-2018
5.	विशाल महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्यादित, लालगुआडी	798/13-09-2004	1955/ 29-12-2009 सं. आ. 2779/20-12-2018
6.	जगृति महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्यादित, रतलाम	793/29-07-2004	335/ 18-03-2010 सं. आ. 2777/20-12-2018
7.	लोक कल्याण विकास सह. संस्था मर्यादित, सैलाना	820/26-04-2005	779/ 24-08-2002 सं. आ. 2779/20-12-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा(क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

**एम. सी. मालवीय,**  
परिसमापक.

(1148)

**कार्यालय उप-पंजीयक एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, टीकमगढ़**

टीकमगढ़, दिनांक 20 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/1544.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक/टी.के.एम./एच.ओ./94, दिनांक 15 जनवरी, 1963 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, संभाग सागर मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधि/2016/165/सागर, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण

के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नरेश सिन्हा,

(1159)

उप-पंजीयक एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70(1) के तहत अधोहस्ताक्षर को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम पंजीकृत पता	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन आदेश/दिनांक	परिसमापक का नाम	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1.	इंदिरा गांधी महिला सहकारी उप. भण्डार मर्या., बंजारीपुरा.	528/24-01-1997	740/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	पृथ्वीपुर
2.	माँ शारदा महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, चंदेरा.	527/20-11-1997	1037/15-03-2004	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	जतारा
3.	श्री कृष्णा प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., डिरगुवां.	552/31-09-1998	741/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	पृथ्वीपुर
4.	प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पाराखेरा.	599/25-09-1998	746/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	पृथ्वीपुर
5.	अछरूमाता प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., मड़िया.	502/27-08-1997	749/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	पृथ्वीपुर
6.	महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., लुहरगुवां.	612/05-05-1999	742/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	पृथ्वीपुर
7.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ढिमरपुरा घूघसी.	358/27-12-1980	744/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	निवाड़ी
8.	सन्मति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़.	316/31-03-1981	735/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	टीकमगढ़
9.	अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़.	630/25-10-1999	736/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	टीकमगढ़
10.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़.	643/09-08-2000	734/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	टीकमगढ़
11.	प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़.	449/07-05-1994	75/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	टीकमगढ़
12.	गिद्ध वाहिनी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिंदूरसागर.	332/27-07-1983	745/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	निवाड़ी

1	2	3	4	5	6
13.	तंतुबाय बुनकर सहकारी समिति मर्या., खरगापुर.	1/12-05-1957	732/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	खरगापुर
14.	सीमा बुनकर सहकारी समिति मर्या., सादिकपुरा.	311/30-09-1991	748/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	निवाड़ी
15.	अखाद्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., सुजारा.	213/25-05-1963	733/30-07-2014	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	जतारा
16.	महिला बहु. उद्योग सहकारी समिति मर्या., विनवारा.	547/19-02-1998	743/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	निवाड़ी
17.	इंदिरा गांधी महिला बहु. उद्योग सहकारी समिति मर्या., विलगांय.	605/25-09-1998	737/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	जतारा
18.	गोकल ग्राम महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अचर्चा.	782/06-06-2005	739/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	जतारा
19.	महिला बहु. उ. सहकारी समि. सगरवारा.	860/16-07-2009	753/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	जतारा
20.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति मर्या., पठाराम.	284/14-06-1991	747/30-07-2015	श्री ए. के. यादव, अंके. अधि.	निवाड़ी

अतः मैं, ए. के. यादव, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1)(सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियाँ स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें. अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिले या सिद्ध हुई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

ए. के. यादव,

परिसमापक एवं अंके. अधिकारी.

(1160)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70(1) के तहत अधोहस्ताक्षर को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन आदेश/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	जया प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., निवाड़ी	805/09-11-2005	776/30-07-2015	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
2.	वीरागंजा आबंतीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार, लिधौरा.	801/27-10-2005	1034/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.

1	2	3	4	5
3.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मुराहबाबा	626/27-09-1999	1057/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
4.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	721/02-09-2003	1052/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
5.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., गुना	709/28-10-2002	1051/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
6.	सतनाम बुनकर सहकारी समिति मर्या., ककावनी	305/18-03-1980	902/24-09-2016	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
7.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., धमना	311/04-09-1980	903/24-09-2016	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
8.	गांधी बुनकर सहकारी समिति मर्या., तरीचरकला	296/10-06-1976	905/24-09-2016	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
9.	जनता बुनकर सहकारी समिति मर्या., उबौरा	300/02-11-1977	777/27-01-2015	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
10.	स्वतंत्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., चचावनी	353/14-11-1985	775/30-07-2015	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
11.	निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	447/23-03-1997	1049/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
12.	बुन्देलखण्ड प्रेक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़.	512/23-03-1997	911/24-09-2016	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
13.	काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., मुहारा	25/28-02-1950	211/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
14.	ताम्रकार उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	31/12-03-1959	739/19-04-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
15.	पीतल पात्र उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	309/18-07-1990	1050/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
16.	पत्थरकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., कारी	326/29-04-1982	737/19-04-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
17.	सौर बंधु उद्योग सहकारी समिति मर्या., बैरवार	7/11-11-1954	249/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
18.	खादी उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	94/21-01-1961	912/24-09-2016	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
19.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पटोरी	694/27-06-2002	240/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
20.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., धनेरा.	686/06-06-2005	150/19-02-2010	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
21.	शिव महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पिपरामडोरी.	781/31-05-2005	226/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
22.	माँ विंध्यवासिनी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., दुर्गानगर.	664/22-02-2002	227/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
23.	माँ दूवदेई महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., दोह.	833/27-12-2002	228/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
24.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुडीला	841/15-10-2007	229/30-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
25.	बजरंग महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लड़वारी	673/18-02-2002	239/03-01-2012	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.

1	2	3	4	5
26.	गोकुल ग्राम महिला बहु. उ. सहकारी समिति मर्या., भेला.	775/19-05-2005	1048/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
27.	माँ भावरी महिला बहु. उ. सहकारी समि. मर्या., सेपुरा.	758/23-09-2004	10417/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
28.	आदर्श महिला बहु. उ. सहकारी समि. सकेरा भडारन.	591/08-09-1998	1046/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
29.	सरस्वती ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सह. समि. मर्या., निवाड़ी.	722/09-09-2003	779/30-07-2015	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
30.	वर्धमान नागरिक प्राथ. सह. समिति मर्या., टीकमगढ़.	538/06-01-1998	736/19-04-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
31.	नागरिक प्राथ. सह. समिति मर्या., लिधौरा	839/20-08-2007	1043/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.
32.	नागरिक प्राथ. सह. समिति मर्या., पृथ्वीपुर	509/04-09-1997	1045/27-05-2017	श्री एन. एस. राय, उप अंकेक्षक.

अतः मैं, एन. एस. राय, उप-अंकेक्षण एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57(1)(सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्त/रिक्त करण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तके, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें. अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिले या सिद्ध हुई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1161)

एन. एस. राय,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/02.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ, दिनांक.....के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा-69 की अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ईट निर्माण सह. सं., चौचक	766/30-12-1992	978/18-09-2002
2.	बुनकर सह. सं. मर्या., घुघरी	452/29-05-1992	1139/31-10-2003
3.	लक्ष्मी बीज उत्पा. गेलाबडी	1057/01-09-2010	213-38/18-03-2014

अतः मैं, रनिता गणावा, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/ सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. (1162)

झाबुआ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/02.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ, दिनांक.....के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 के धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	अनाज बीज उत्पा. बाट्याबयडी	1062/08-03-2010	213-37/18-03-2014

अतः मैं, रनिता गणावा, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावों और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/ सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

रनिता गणावा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1163)

### कार्यालय परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीजाडांडी, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ, जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आदिवासी विकास श्रम ठेका काष्टगार सह. समि. मर्या., कालपी.	1379/01-03-2014	1294/19-06-2015
2.	रविदास चर्मद्योग सह. समि. मर्या., मगरधा	685/22-12-1995	1292/19-06-2015
3.	आदिवासी मत्स्य सह. समिति मर्या., चौरई	667/21-07-1994	1418/06-09-2018
4.	बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., चंदियाजर	1299/01-03-2014	1420/06-09-2018
5.	बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मैली	959/01-03-2014	1425/06-09-2018
6.	बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मगरधा	966/01-03-2014	1430/06-09-2018
7.	बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., बीजाडांडी	969/01-09-2014	1435/06-09-2018

अतः मैं, गीतेश मेहरा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी विकासखण्ड बीजाडांडी में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न हाने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

गीतेश मेहरा,

(1164)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2065.—जिले में स्थित जय प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लेंदागोंदी पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लेंदागोंदी पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक.....नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1165)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2066.—जिले में स्थित प्रभात बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोंरडोंगरी पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रभात बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोंरडोंगरी पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1166)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2067.—जिले में स्थित श्री उज्ज्वल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आजनगांव पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत श्री उज्ज्वल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आजनगांव पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1167)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2068.—जिले में स्थित हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैलेपार (मारूढ़) पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैलेपार (मारूढ़) पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1168)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2069.—जिले में स्थित यशोधन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारूढ़ पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत यशोधन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारूढ़ पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक ..... नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1169)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2070.—जिले में स्थित केशव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरलीखापा पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत केशव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरलीखापा पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1170)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2071.—जिले में स्थित माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधीबोदलकछार पंजीयन क्रमांक 961, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधीबोदलकछार पंजीयन क्रमांक 961, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1171)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2072.—जिले में स्थित माँ कृपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत माँ कृपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1172)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2073.—जिले में स्थित राधाकृष्ण फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुई पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत राधाकृष्ण फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुई पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक ..... नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1173)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2074.—जिले में स्थित माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक ..... नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,  
उप-पंजीयक.

(1174)

**कार्यालय, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएँ, अलीराजपुर**

दिनांक 20 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1143.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	वनश्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, मथवाड	326/25-05-1964	765/15-07-2019
2.	बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बखतगढ़	350/30-03-1992	763/15-07-2019
3.	आजिविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कट्टीवाडा	07/21-12-2010	769/15-07-2019
4.	गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनपुर	36/08-07-2014	641/24-06-2019
5.	चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डवाट	05/25-08-2010	770/15-07-2019

अतः मैं, बी. एस. सॉलकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियों या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर (संयुक्त कार्यालय जिला अलीराजपुर कक्ष क्रमांक 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवाधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

बी. एस. सॉलकी,  
परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(1175)

**कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला-नरसिंहपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थाएं, नरसिंहपुर के आदेशानुसार निम्नानुसार समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम सहकारी समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बटेसरा	530/13-03-1997	307/20-02-2004
2.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी (रोजमार्ग)	514/04-09-1997	1941/16-11-2017
3.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिंगसरा	513/04-09-1997	1944/16-11-2017
4.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया (बरोदिया)	481/26-06-1997	827/08-03-2019
5.	गजानन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबईकला	694/30-06-2014	164/05-02-2014
6.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उकासघाट (भमका)	684/30-06-2014	168/05-02-2014
7.	श्री अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारेगांव	709/30-06-2014	927/22-07-2014
8.	राजराजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारहबडा	729/30-06-2014	341/31-03-2015
9.	श्री बालाजी साख सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर	758/30-06-2014	636/28-03-2017
10.	हमारा दफतर हमारा घर साख सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर	768/30-06-2014	625/29-05-2019

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकाशन अवधि से दो माह के अंदर मय प्रमाण के दावा यदि हो, तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो निर्धारित समय के पश्चात् बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

अतः उपरोक्त सूचना आज दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

जी.पी. अहिरवार,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1176)

**जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, देवास**

वित्तीय स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2018-19

क्र.	देनदारी मद	रकम	योग	क्र.	लेनदारी मद	रकम	योग
<b>1. अंशपूजी</b>			<b>35956395.00</b>	<b>1. सिलक</b>			
1.	अंशपूजी 'अ' वर्ग	23987113.00		1.	नगदी सिलक कार्यालय में	455.00	
2.	अंशपूजी 'ब' वर्ग	399082.00		2.	भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप ग्रेज्युएटी	169118.00	<b>1476462.00</b>
3.	अंशपूजी 'स' वर्ग शासन	11570200.00		3.	करंट खाता समझौता वसूली	1306889.00	
<b>2. निधियां एवं कोष</b>				<b>2. विनियोजन</b>			
1.	रक्षित निधि	26200.00		1.	शेयर शीर्ष विकास बैंक	13704730.00	
2.	भवन निधि	3687695.00		2.	शेयर केन्द्रीय सहकारी बैंक, देवास.	5000.00	
			<b>657631280.00</b>	3.	शेयर पंचायती शीर्ष सह. मुद्रण, उज्जैन.	5000.00	<b>16348237.00</b>
3.	संदिग्ध एवं ढुबंत ऋण निधि	109022257.00		4.	शेयर पंचायत प्रेस, देवास	125.00	
4.	कालातीत ब्याज निधि	544150600.00		5.	डबल डिपॉजिट शीर्ष बैंक	0.00	
5.	कार्यवाही शुल्क निधि	484306.00		6.	अन्य संस्था डिपॉजिट	2633382.00	
6.	कर्मचारी कल्याण निधि	71839.00		<b>3. सदस्यों से कर्ज लेना शेष</b>	<b>212467683.34</b>	<b>212467683.34</b>	
7.	जीप कोष	188383.00					

क्र.	देनदारी मद	रकम	योग	क्र.	लेनदारी मद	रकम	योग
3.	अमानतें		24446.00	4.	संपत्तियां		
1.	सावधि निक्षेप	24446.00		1.	फर्नीचर फिक्चर	0.00	0.00
4.	शीर्ष बैंक ऋण	462901802.00	462901802.00	2.	डेड स्टॉक जीप	0.00	
5.	अन्य देनदारी			5.	समायोजन खाता		467329.00
1.	विविध देनदारी	2795229.00	3888321.00	1.	शीर्ष बैंक समायोजन खाता	467329.00	
2.	आडिट फीस देना	1093092.00		6.	अन्य लेनदारियां		0.00
6.	ब्याज, देना शेष शीर्ष बैंक		511184000.00	अन्य अग्रिम		0.00	
1.	ब्याज, दण्ड ब्याज, शीर्ष बैंक	511184000.00		7.	ब्याज लेना राज्य शासन से	38746734.00	38746734.00
				8.	ब्याज लेना		
				1.	कालातीत ब्याज सदस्यों से	540350600.00	600998200.00
				2.	दण्ड ब्याज सदस्यों से	60647600.00	
				9.	हानि खाता संकलित हानि	801081598.66	801081598.66
योग:-		1671586244.00	1671586244.00	योग:-		1671586244.00	1671586244.00

(1177) एन. के. गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, विनोद सरयाम,  
प्रभारी महाप्रबंधक. उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक. प्रभारी बैंक अंकेक्षक.

### कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1428.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./365, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा स्मृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बकायन जिसका पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्मृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बकायन का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1149)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1429.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./351, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटेरा जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री रवि जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरपालपुरा का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1150)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1430.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./354, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरपालपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 13 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री रवि जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरपालपुरा का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1151)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1431.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./306, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्मृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बकायन का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1152)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1432.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./84, दिनांक 05 फरवरी, 2009 के द्वारा हितार्थ महिला ईधन आपूर्ति

सहकारी समिति मर्या., बिजौरा खमरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 06 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हितार्थ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बिजौरा खमरिया का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1153)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1433.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./360, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा लखरौनी जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 26 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. एल. लखेरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा लखरौनी का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1154)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1434.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./358, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरमासा जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरमासा का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1155)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1435.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./366, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा केशव ईंधन आपूर्ति

सहकारी समिति मर्या., दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 06 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केशव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दमोह का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1156)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1436.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./355, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा संत रविदास महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेडाचैन जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत रविदास महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेडाचैन का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1157)

दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि./2019/1437.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./87, दिनांक 05 फरवरी, 2009 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., समन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक 537, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., समन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1158)

राजु डावर,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय, परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत ]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक/दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र/दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर	1025	161/03-02-2016

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रकाशन 31 मार्च, 2019 की स्थिति में संलग्न प्रकाशित किया जा रहा है. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त संस्था के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस बैंक के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

#### स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च, 2019

लेनदारियाँ

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19
1	2	3	4	5	6
<b>1. नगदी सिलक-</b>					
	1. मुख्यालय	5111.65	3736.65	5111.65	3736.65
	2. शाखा-जबलपुर	0.00			0.00
	3. शाखा-सिहोरा	0.00			0.00
	4. शाखा-स्लीमनाबाद	0.00			0.00
	5. शाखा-कटनी	0.00			0.00
	6. शाखा-पटना	0.00			0.00
	<b>योग</b>	<b>5111.65</b>	<b>3736.65</b>	<b>5111.65</b>	<b>3736.65</b>
<b>2. बैंक में जमा चल खाता-</b>					
	1. चल खाता 4 एम.पी. बैंक	4372.35			4372.35
	2. एम.पी. बैंक 187000679416	1231967.00	166482.00	323480.00	1074969.00
	3. चल खाता 212 सी.सी.बी. मु.	178285.36			178285.36
	4. चल खाता 1 सी.सी.बी. पाटन 3	3999.96			3999.96
	5. चल खाता 2 सी.सी.बी. पाटन 6	8595.22			8595.22
	6. चल खाता सेन्ट्रल बैंक कटनी	213.00			213.00

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
7.	चल खाता 1 सी.सी.बी. कटंगी	9950.17			9950.17	
8.	चल खाता 367 सी.सी.बी. मुख्यालय.	51351.10			51351.10	
9.	चल खाता 756 क्र.1 सी.सी.बी. जबलपुर 253.	148245.67	80400.00	31000.00	197645.67	
10.	चल खाता सी.सी.बी. स्लीमनाबाद 1	54500.05			54500.05	
11.	चल खाता आई.डी.बी.आई. मुख्यालय	699719.44	16000.00	226109.00	489610.44	
12.	चल खाता 1 सी.सी.बी. कटनी	193782.45			193782.45	
<b>योग</b>		<b>2584981.77</b>	<b>262882.00</b>	<b>580589.00</b>	<b>2267274.77</b>	<b>2267274.77</b>
<b>3. बचत खाता-</b>						
1.	खाता क्र. कल्याण एम. पी. बैंक मुख्यालय.	4176.00			4176.00	
2.	खाता क्र. 833 सी. सी. बी., सिहोरा.	903.01			903.01	
3.	खाता क्र. 504 सी. सी. बी., कटनी.	1987.95			1987.95	
4.	खाता क्र. 22 सी. सी. बी., पाटन.	11992.47			11992.47	
5.	खाता क्र. 7617/4093 सी. सी. बी., जबलपुर.	14763.00			14763.00	
<b>योग</b>		<b>33822.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33822.43</b>	<b>33822.43</b>
<b>4. विनियोग-</b>						
1.	सावधि निक्षेप शीर्ष बैंक	1538021.11			1538021.11	
2.	दोहरी जमा शीर्ष बैंक	2172867.89			2172867.89	
3.	हिस्सा क्रय शीर्ष बैंक	4546200.00			4546200.00	
5.	रक्षित निधि एम.पी. बैंक, जबलपुर	5086904.00			5086904.00	
6.	हिस्सा क्रय प्रकाशन सभा मुम्बई	50.00			50.00	
<b>योग</b>		<b>13344043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13344043.00</b>	
<b>5. सदस्य ऋण-</b>						
1.	सामान्य ऋण	10125865.32			10125865.32	
2.	नाबार्ड योजना	47409048.14		4943.00	47404105.14	
3.	एस. जी. एस. वाय.	7550706.30			7550706.30	
4.	अकृषि योजना	3971580.92			3971580.92	
<b>योग</b>		<b>69057200.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4943.00</b>	<b>69052257.68</b>	

## लेनदारियाँ

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. अमानतें-</b>						
	1. शीर्ष बैंक समायोजन लेखा जबलपुर.	3634181.98			3634181.98	
<b>योग</b>		<b>3634181.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3634181.98</b>	
<b>7. अग्रिम लेखा-</b>						
	1. संचालक एवं कर्मचारी	618390.11	53000.00		671390.11	
	2. भवन निर्माण अग्रिम	6516.50			6516.50	
<b>योग</b>		<b>624906.61</b>	<b>53000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677906.61</b>	
<b>8. भूमि एवं अचल सम्पत्ति-</b>						
	1. भूमि क्रय लेखा	47702.95			47702.95	
	2. भवन क्रय लेखा मूल्य 375000	263951.00		6599.00	257352.00	
<b>योग</b>		<b>311653.95</b>		<b>6599.00</b>	<b>305054.95</b>	
<b>9. स्कंध एवं सम्पत्ति-</b>						
	1. उपस्कर एवं स्कंध	82587.65		8259.00	74328.65	
	2. जीप क्रय लेखा	1.00			1.00	
<b>योग</b>		<b>82588.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8259.00</b>	<b>74329.65</b>	
<b>10. ब्याज लेना शेष</b>						
<b>ब्याज लेना शेष</b>		<b>183699164.40</b>			<b>183699164.40</b>	
<b>11. अन्य लेनदारियाँ-</b>						
	1. गबन खाता शाखा जबलपुर	10867.59			10867.59	
	2. विलंबित खाता केन्द्र शासन	705785.54			705785.54	
	3. विलंबित खाता राज्य शासन	15758.96			15758.96	
	4. म.प्र. शासन से प्राप्त समस्त ब्याज	25763883.00			25763883.00	
	5. टेलीफोन सस्पेंस/सिक्यूरिटी टेलीफोन	6000.00			6000.00	
	6. जीप अमानत	87464.42			87464.42	
	7. ऋण राहत विपणन अनुदान	2180.00			2180.00	
	8. अंश क्रय हरिजन आदिवासी	55536.00			55536.00	
	9. डाउन पेमेन्ट	3736.00			3736.00	
	10. मूल्यांकन शुल्क	140218.92			140218.92	
	11. सिक्यूरिटी म.प्र. विद्युत मण्डल	900.00			900.00	

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
12.	समूह सह बचत बीमा योजना	28293.00			28293.00	
13.	सावधि जमा	73372.05			73372.05	
14.	शीर्ष बैंक विविध अग्रिम	6490.00			6490.00	
15.	शीर्ष बैंक देय लेखा	13635.00			13635.00	
16.	भूमि भार	6255.00			6255.00	
17.	ऋण राहत	416883.03			416883.03	
18.	संघ चंदा सस्पेंस	3797.00			3797.00	
19.	सोसायटी सस्पेंस सिहोरा	3400.00			3400.00	
20.	समझौता योजना	702134.00			702134.00	
21.	लोक अदालत	324270.00		89805.00	234465.00	
22.	अमानत अ	75332.43			75332.43	
23.	बीमा योजना प्रशासनिक	280.00			280.00	
	<b>योग:</b>	<b>28446471.94</b>	<b>0.00</b>	<b>89805.00</b>	<b>28356666.94</b>	<b>28356666.94</b>
12.	<b>लेनदारी योग:</b>	<b>301824127.06</b>	<b>319618.65</b>	<b>695306.65</b>	<b>301448439.06</b>	
	<b>संचित हानि:</b>	<b>451077840.64</b>	<b>403188.00</b>		<b>451481028.64</b>	
	<b>कुल योग:</b>	<b>752901967.70</b>	<b>722806.65</b>	<b>695306.65</b>	<b>752929467.70</b>	<b>752929467.70</b>
					<b>देनदारियाँ</b>	<b>752929467.70</b>
क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>301448439.06</b>
1.	<b>हिस्सा पूँजी-</b>					<b>451481028.64</b>
						<b>कार्याशील पूँजी</b>
1.	अ वर्ग ऋणी सदस्य	6881126.40			6881126.40	
2.	ब वर्ग ऋणी सदस्य	69378.00			69378.00	
3.	राज्य शासन	7273500.00			7273500.00	
	<b>योग</b>	<b>14224004.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14224004.40</b>	
2.	<b>निधियाँ-</b>					
1.	रक्षित निधि	4789410.87			4789410.87	
2.	भवन निधि	1543210.72			1543210.72	
3.	लाभांश समायोजन	5000.00			5000.00	

## देनदारियाँ

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
4.	स्कंध निधि	597.22			597.22	
5.	अंश तब्दीली	300.00			300.00	
6.	बोनस निधि	14458.87			14458.87	
7.	जीप प्रति पूर्ति	122950.00			122950.00	
8.	सह. संघ अनुदान	751.17			751.17	
	<b>योग</b>	<b>6476678.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6476678.85</b>	
<b>अन्य निधियाँ/प्रावधान-</b>						
1.	डूबत एवं संदिग्ध ऋण	37573000.00			37573000.00	
2.	अतिशोध्य ब्याज लेयनिधि	202723705.00			202723705.00	
	<b>योग</b>	<b>240296705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240296705.00</b>	
<b>3. कर्मचारी भविष्य निधि-</b>						
1.	भविष्य निधि	494389.17			494389.17	
2.	पेंशन योजना	94059.42			94059.42	
3.	कर्मचारी कल्याण निधि	28490.00			28490.00	
4.	भविष्य निधि प्रशासनिक	5978.00			5978.00	
	<b>योग</b>	<b>622916.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622916.59</b>	
<b>4. शीर्ष बैंक ऋण-</b>						
1.	सामान्य ऋण	154691.52			154691.52	
2.	नाबार्ड योजना	142043494.54			142043494.54	
3.	एस. जी. एस. वाय.	9900068.51			9900068.51	
4.	अकृषि योजना	12597147.00			12597147.00	
	<b>योग</b>	<b>164695401.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164695401.57</b>	
<b>5. सदस्यों की अमानतें-</b>						
1.	सावधि निक्षेप सदस्य+दोहरी जमा	0.00			0.00	
3.	अमानत अ	0.00	200.00	200.00	0.00	
4.	सदस्य अस्थाई जमा+वसूली सम. योजना.	3404096.96	27500.00		3431596.96	
5.	कर्मचारी सस्पेंस	474288.86			474288.86	
6.	नलकूप सस्पेंस	339410.19			339410.19	
7.	एस. पी. ई. बी. सिहोरा/कटनी	532.33			532.33	

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
8.	संचालक सस्पेंस	11963.00			11963.00	
9.	बैंक आफीसर सोसायटी सिहोरा	4933.00			4933.00	
10.	भू. विकास. बैंक कर्म. साख समिति.	56200.00			56200.00	
11.	ग्रामीण ऋण पत्र	5646.75			5646.75	
12.	थ्रिफ्ट फंड	564.80			564.80	
13.	विक्रय अधिकारी लेखा	2436680.31			2436680.31	
14.	बीमा प्रीमियम	149.00			149.00	
15.	हरिजन/आदिवासी अंश क्रय ऋण	319294.00			319294.00	
16.	अर्नेष्ट मनी	7031.00			7031.00	
17.	ग्रेच्युटी सस्पेंस	670968.00			670968.00	
18.	अस्थाई हि. अमानत	18960.00			18960.00	
19.	बिल सस्पेंस	594642.05			594642.05	
20.	समूह बीमा सस्पेंस	191347.00			191347.00	
22.	जीप अमानत	86214.42			86214.42	
<b>योग</b>		<b>8622921.67</b>	<b>27700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>8650421.67</b>	
<b>6. ब्याज देना शेष</b>						
<b>समस्त ब्याज योग</b>		<b>287945394.00</b>			<b>287945394.00</b>	
<b>7. अन्य देनदारियाँ-</b>						
1.	ऋण अनुदान कृषि विभाग/अन्य	7777603.96			7777603.96	
2.	ब्याज अनुदान	85665.97			85665.97	
4.	अंकेक्षण शुल्क देय	100000.00			100000.00	
5.	कर्मचारी संघ चंदा	2520.00			2520.00	
6.	कार्यालय किराया देय	5224.00			5224.00	
8.	ऋण राहत दंड ब्याज	24.60			24.60	
9.	शीर्ष बैंक प्रबंध व्यय	11210600.00			11210600.00	
11.	हस्त लेखा मुख्यालय एवं शाखायें.	717948.88			717948.88	
12.	ग्रेच्युटी देय लेखा	7000000.00			7000000.00	

## देनदारियाँ

क्र.	विवरण	अवशेष 31-03-18	व्यय	आय	अवशेष 31-03-19	
1	2	3	4	5	6	7
13.	चल खाता सी.सी.बी. शाखा जबलपुर 368/254	191912.90			191912.90	
14.	चल खाता 1 सी.सी.बी. पनागर	179037.60			179037.60	
15.	चल खाता 2 क्र. 26 सी.सी.बी. पनागर.	168721.87			168721.87	
16.	चल खाता 2 सी.सी.बी. सिहोर 87	47572.69			47572.69	
17.	बचत खाता क्र. 721 सी.सी.बी. पनागर.	32100.17			32100.17	
18.	बचत खाता 2 सी.सी.बी. स्लीमनाबाद.	5119.94			5119.94	
21.	चल खाता क्र. 47 सी.सी.बी. सिहोरा.	13754.00			13754.00	
22.	सावधिक निक्षेप+दोहरी जमा ऋण	16979.00			16979.00	
23.	केन्द्र शासन ऋण माफी/ राहत राशि.	830790.00			830790.00	
24.	शासन राहत योजना वसूली	1423542.00			1423542.00	
27.	चल खाता सी.सी.बी. कटंगी	0.04			0.04	
28.	चल खाता सी.सी.बी. कटनी	180691.44			180691.44	
30.	खाता क्र. 281 सी.सी.बी. स्लीमनाबाद.	23673.36			23673.36	
32.	आयकर अमानत	130.00			130.00	
33.	वृत्ति	1725.00			1725.00	
35.	कर्मचारी वेतन बचत बीमा	2608.20			2608.20	
					0.00	
					0.00	
	<b>योग</b>	<b>30017945.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30017945.62</b>	<b>752929467.70</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>752901967.70</b>	<b>27700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>752929467.70</b>	<b>752929467.70</b>

शिवम मिश्रा,  
उप-पंजीयक एवं परिसमापक.

**कार्यालय परिसमापक, संस्कारधानी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश क्रमांक/सं.पं.ज./परिसमापन/04 दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 द्वारा संस्कारधानी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक/दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र/दिनांक
1	2	3	4
1.	संस्कारधानी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर	13	क्र./सं.पं.ज./परिसमापन/04 दिनांक 01-12-2004

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक एवं परिसमापक, संस्कारधानी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

संस्कारधानी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रकाशन 31 मार्च, 2019 की स्थिति में संलग्न प्रकाशित किया जा रहा है. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त संस्था के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस बैंक के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक के उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.1

**स्थिति विवरण व्यय पत्रक वर्ष 2018-2019**

क्र.	देनदारियां	राशि	क्र.	लेनदारियां	राशि
1	2	3	1	2	3
1.	अंश पूंजी	1277430.00	1.	बचत खाता अपेक्स बैंक	1723.52
2.	चल लेखा फर्म	260874.9		1619.52	
3.	चल लेखा व्यक्तिगत	60969.55		+104.00	
4.	संचय लेखा	514544.92		<b>योग- 1723.52</b>	
5.	सावधि लेख	901074.00	2.	बचत खाता जिला सहकारी बैंक	10653.00
6.	अनिवार्य जमा	2150.00		10323.00	
7.	बिल्स पेयबिल	517994.7		+330.00	
8.	रिजर्व फण्ड	11350.00		<b>योग-10653.00</b>	
9.	एन.पी.ए. निधि	7247170.00			
10.	अतिदेय प्रारक्षित निधि	744901.00			

क्र.	देनदारियां	राशि	क्र.	लेनदारियां	राशि
1	2	3	1	2	3
11.	निक्षेप बीमा निगम मुंबई	2472657.00	3.	बचत खाता महिला नागरिक बैंक	28997.00
<b>योग .</b>		<b>14011116.07</b>		27850.00	
	संचित हानि	9223865.55		+1147.00	
	पिछला हानि	9234172.55	<b>योग-28997.00</b>		
	सालहाल लाभ	10305.00	4.	सावधि लेखा अपेक्स बैंक	169350.00
				160433.00	
				+8917.00	
			<b>योग-169350.00</b>		
			5.	अग्रिम लेखा	9450.00
			6.	व्यवसाय ऋण	2515833.00
			7.	आवास ऋण	1357912.00
			8.	उपभोक्ता ऋण	11403.00
			9.	जखीरा स्कंध	17727.00
			10.	ब्याज पाना	317663.00
			11.	एन.पी.ए.	451830.00
			12.	अपेक्स बैंक से लेनदारी	95000.00
			13.	अंतिम सिलक	200.00
		<b>4787250.52</b>			<b>4787250.52</b>

(1179)

शिवम मिश्रा,  
परिसमापक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019-पौष 6, शके 1941

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.
2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.
4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-**जिला होशंगाबाद में वर्षा व कीड़ों का प्रभाव है. सर्वे कार्य चालू है.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.
7. **अन्य असामयिक घटना से क्षति :-**वर्षा एवं बाढ़ से कुछ जिलों में, फसलों में क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **फसल स्थिति :-**जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति बिगड़ी हुई तथा शेष जिलों में सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई:-** राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, तिल अधिक. धान सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	46.0				
2. पोरसा	85.0				
3. मुरैना	133.0				
4. जौरा	70.0				
5. कैलारस	83.0				
6. सबलगढ़	50.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, कपास, धान सामान्य. ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल, मक्का, सोयाबीन, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	22.1				
2. कराहल	24.0				
3. विजयपुर	13.0				
4. वीरपुर	95.0				
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) बाजरा 15% अधिक बिगड़ी 25% ,धान 5% अधिक. तिल ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अंटेर	23.0				
2. भिण्ड	70.0				
3. गोहद	32.0				
4. मेहगांव	108.0				
5. लहार	104.3				
6. रौन+मिहोना	82.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा समान. तिल, तुअर, गन्ना, सोयाबीन उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है. 50%	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	130.9				
2. डबरा	107.1				
3. भितरवार	27.2				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	146.2				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) गन्ना, धान अधिक.मूँगफली, तिल समान. ज्वार, बाजरा, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	33.0				
2. दतिया	57.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	66.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	41.0		4. (1) धान, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उडुद समान.	6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	82.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	(ब) अच्छी.	
3. खनियाधाना	76.0				
4. नरवर	108.0				
5. करैरा	103.0				
6. कोलारस	21.0				
7. पोहरी	28.0				
8. बैराद	26.0				
9. बदरवास	79.0				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	193.0		4. (1) उडुद 30% कम, सोयाबीन 25% अधिक. मक्का 10% कम. गन्ना 55% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	136.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. अशोकनगर	150.0				
4. चन्देरी	227.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 30%	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	175.1		4. (1) सोयाबीन, उडुद, मक्का समान. 30% बिगड़ी हुई.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	46.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. बमोरी	114.0				
4. आरोन	151.0				
5. चाचौड़ा	109.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	96.0				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 10%	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. निवाड़ी	49.0		4. (1) धान 0.15 कम. सोयाबीन 0.15 कम. तुअर 0.15 कम. मूँगफली 0.05 कम. गन्ना 20% कम. मूँग, तिल 10% अधिक. ज्वार 5% अधिक. उडुद 20% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	98.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. जतारा	35.0				
4. टीकमगढ़	99.0				
5. बल्देवगढ़	AREFI				
6. पलेरा	44.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	61.0				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) तुअर कम 15% उडुद अधिक 15% तिल कम 2%	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	53.0		(2) . .	(ब) अच्छी.	
3. नौगांव	163.0				
4. छतरपुर	86.0				
5. राजनगर	109.4				
6. बिजावर	216.0				
7. बड़ा मलहरा	129.2				
8. लवकुशनगर	155.0				
9. बक्सवाहा	121.2				
10. महाराजपुर	. .				
11. चंदला	. .				
12. धुवारा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	155.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	86.8		तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	83.0		तिल.	(ब) अच्छी.	
4. पवई	41.0		(2) . .		
5. शाहनगर	109.0				
6. देवेन्द्रनगर	86.8				
7. अमानगंज	83.0				
8. सिमरिया	41.0				
9. रैपुरा	109.5				
10. जयसिंह नगर	79.4				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	143.6		4. (1) धान 10% कम, ज्वार 50% कम,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	69.1		मक्का 25% अधिक, तुअर 10%	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	148.2		कम, उड़द 5% कम, मूँग	(ब) अच्छी.	
4. सागर	124.5		20% कम, सोयाबीन 5% कम,		
5. रेहली	114.0		तिल 30% कम, मूँगफली 10%		
6. देवरी	90.0		कम.		
7. गढ़ाकोटा	75.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई		
8. राहतगढ़	82.0		हैं. 10%		
9. केसली	128.4				
10. मालथोन	92.0				
11. शाहगढ़	110.0				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	153.0		4. (1) सोयाबीन 80% अधिक,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	232.0		उड़द 30% कम, धान 2% कम,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	88.0		तुअर, मूँग अधिक.	(ब) अच्छी.	
4. पथरिया	131.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	66.0				
6. तेन्दूखेड़ा	86.4				
7. पटेरा	157.0				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 20%, 15%, 20%,15%	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	65.8		4. (1) धान 30% कम, तिल 2% कम,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	73.0		सोयाबीन 15% कम, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	76.0		समान. ज्वार 25% कम, मूँग	(ब) अच्छी.	
4. नागौद	5.2		2% कम. मक्का 5% कम.		
5. उचेहरा	123.0		(2) उपरोक्त फसलें धान समान.		
6. अमरपाटन	46.0		तिल 20% बिगड़ी, सोयाबीन		
7. रामनगर	16.0		15% बिगड़ी, उड़द 20% बिगड़ी		
8. मैहर	25.2		मूँग 15% बिगड़ी, ज्वार,		
9. कोठर	. .		मक्का समान.		
10. विरसिंहपुर	86.0				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	77.0		4. (1) धान समान, उड़द 10% कम,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	44.2		मूँग 20% कम, तुअर 15%	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	21.2		कम, ज्वार 20% कम.	(ब) अच्छी.	
4. हनुमना	124.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. हुजूर	38.6				
6. गुढ़	131.5				
7. मनगवां	35.0				
8. सेमरिया	52.0				
9. जवा	13.0				
10. नईगढ़ी	72.0				
11. रायपुरकर्चुलियान	77.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	34.0		4. (1) मक्का 5% अधिक, तुअर 5% अधिक, तिल 2% अधिक, उड़द 2% अधिक, धान 5% कम	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	580.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. जयसिंहनगर	12.0				
4. बुढ़ार	28.0				
5. गोहपारू	46.0				
6. जैतपुर	18.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	87.6		4. (1) धान, मक्का समान. तिल 5% कम. तुअर 10% अधिक. ज्वार 10% अधिक. सोयाबीन 10% कम. मूँगफली 10% कम. उड़द 20% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	53.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 15%, 5%, 10%, 25%	(ब) अच्छी.	
3. कोतमा	102.0				
4. पुष्पराजगढ़	55.8				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	6.6		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर, तिल	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	41.9		(2) . .	(ब) अच्छी.	
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	3.2				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	76.8		4. (1) धान, तुअर, मक्का, मूँग, उड़द, तिल समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	107.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. मझौली	18.0				
4. कुसमी	75.7				
5. चुरहट	24.0				
6. बहरी	28.6				
7. रामपुरनैकिन	42.5				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	115.6		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, तिल समान. तुअर 2% कम, धान 25% कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	28.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 2%.	(ब) अच्छी.	
3. सरई	27.4				
4. माडा	81.4				
5. सिंगरौली	153.0				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 70% 80%	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	11.7		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	57.8		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. 70%.	(ब) अच्छी.	
3. मल्हारगढ़	57.5				
4. गरोठ	45.2				
5. मंदसौर	11.0				
6. श्यामगढ़	35.8				
7. सीतामऊ	65.2				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
11. दलोदा	11.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 50%	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	30.0		4. (1) उड़द 15% अधिक, सोयाबीन 2% अधिक, मक्का 25% अधिक	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	60.0		मूँग 50% कम, तुअर 50% कम, मूँगफली 25% कम, तिल 10% कम, ज्वार 10% अधिक.	(ब) अच्छी.	
3. सिंगौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई 50%		
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	41.0				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	22.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास समान.	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	37.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं. 15%	(ब) अच्छी.	
3. सैलाना	97.0				
4. बाजना	29.0				
5. ताल	48.0				
6. रावटी	169.0				
7. पिपलोदा	40.0				
8. रतलाम	73.0				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	108.0		4. (1) मक्का, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन कम.	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	64.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. तराना	96.0				
4. घटिया	80.0				
5. उज्जैन	33.0				
6. बड़नगर	87.0				
7. नागदा	195.7				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	114.0		4. (1) सोयाबीन 2% अधिक.	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	53.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	(ब) अच्छी.	
3. नलखेड़ा	68.5				
4. आगर	60.0				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	177.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर समान. मक्का 2% कम, मूँगफली 2% कम, ज्वार 5% कम.	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	104.7		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं. 10%	(ब) अच्छी.	
3. शुजालपुर	90.0				
4. कालापिपल	96.0				
5. पोलायकलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	179.0				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	85.0		4. (1) ज्वार 60% कम, मक्का अधिक. तुअर 40% कम, उड़द 5% कम, मूँग 5% कम. सोयाबीन 100% अधिक, कपास 30% कम, तिल 5% कम, मूँगफली 60% कम.	6. (अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	87.0		(2) उपरोक्त फसलें मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास 50% बिगड़ी. ज्वार, तुअर, तिल, मूँगफली सुधरी हुई	(ब) अच्छी.	
3. देवास	75.0				
4. बागली	123.0				
5. कन्नोद	54.0				
6. हाटपिपल्या	157.0				
7. सतवास	32.0				
8. उदयनगर	78.6				
9. खातेगांव	62.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	40.8			4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, सोयाबीन, मूँगफली समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. ..	
2. मेघनगर	75.6			(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.		
3. पेटलावद	38.6						
4. झाबुआ	92.6						
5. राणापुर	39.0						
6. रामा	54.0						
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. जोवट	49.0			4. (1) सोयाबीन 2% अधिक, मक्का 2% अधिक. उड़द 2% अधिक. बाजरा 2% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. अलीराजपुर	149.2			(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.		
3. कट्टीवाड़ा	26.0						
4. सोंडवा	81.0						
5. उदयगढ़	24.7						
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	17.2						
7. भामरा	..						
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. बदनावर	107.8			4. (1) सोयाबीन 15% कम, मक्का 15% अधिक. गन्ना 20% अधिक. कपास 5% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. सरदारपुर	119.3			(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.		
3. धार	74.4						
4. कुक्षी	57.0						
5. मनावर	42.0						
6. धरमपुरी	66.0						
7. गंधवानी	28.0						
8. डही	10.0						
9. पीथमपुर	73.4						
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	68.8			4. (1) सोयाबीन 15% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. सांवेर	22.8			(2) ..	(ब) अच्छी.		
3. इन्दौर	77.9						
4. गौतमपुरा	116.4						
5. हातोद	..						
6. महू	75.0						
(डॉ. अम्बेडकर नगर)							
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	13.0			4. (1) ज्वार, मूँगफली, तुअर कम. मक्का, सोयाबीन, कपास अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. महेश्वर	33.4			(2) ..	(ब) अच्छी.		
3. सेगांव	72.0						
4. खरगौन	150.0						
5. गोगावां	66.0						
6. कसरावद	31.0						
7. भगवानपुरा	72.0						
8. भीकनगांव	223.0						
9. सनावद	2.0						
10. झिरन्या	54.8						
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	52.0			4. (1) कपास 20% अधिक, मक्का 10% अधिक, ज्वार 25% कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. ठीकरी	121.8			(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.		
3. राजकोट	103.0						
4. सेंधवा	72.0						
5. पानसेमल	132.0						
6. पाटी	..						
7. अंजड	..						
8. बरला	40.5						
9. निवाली	78.0						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. खण्डवा	102.0		4. (1) सोयाबीन कम, धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर, समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. खालवा	66.0				
4. पंधाना	4.0				
5. हरसूद	31.1				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	55.8		4. (1) कपास 5% अधिक, मक्का 100% अधिक, सोयाबीन 10% कम, ज्वार 50% कम. मूँग 10% कम. तुअर 10% कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	55.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. नेपानगर	82.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 55% वर्षा 40%	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	91.0		4. (1) सोयाबीन 5% अधिक, मक्का 5% अधिक, उड़द 2% अधिक, मूँग 2% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	64.5		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी	(ब) अच्छी.	
3. खिलचीपुर	108.5		सोयाबीन 60%, मक्का 40%		
4. ब्यावरा	16.2		उड़द 40%, मूँग 40% बिगड़ी.		
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	43.0				
7. नरसिंहगढ़	62.0				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	25.2		4. (1) मूँग, उड़द, सोयाबीन समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	80.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. कुरवाई	76.4				
4. बासोदा	65.4				
5. नटेरन	54.0				
6. विदिशा	73.0				
7. गुलाबगंज	103.0				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्यौंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	45.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	55.7		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार, मक्का, धान समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	28.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. बैरागढ़	. .				
4. कोलार	34.1				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	48.4		4. (1) गन्ना 85% कम. सोयाबीन 10% कम, मक्का 40% कम, तुअर 10% कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	72.0		(2) मूँग, उड़द, तिल.	(ब) अच्छी.	
3. इछावर	42.0				
4. नसरूल्लागंज	13.0				
5. रेहटी	24.8				
6. श्यामपुर	22.0				
7. जावर	101.7				
8. बुधनी	56.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा 50%	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	72.8		4. (1) धान 20% अधिक, सोयाबीन 10% अधिक, गन्ना 5% अधिक, मक्का 5% अधिक, उड़द, तुअर, मूँगफली समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. . .
2. गैरतगंज	94.0				
3. बेगमगंज	84.0				
4. गोहरगंज	30.0				
5. बरेली	20.0				
6. सिलवानी	48.5		(2) धान, मक्का, गन्ना सुधरी हुई. सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँगफली 50% बिगड़ी.		
7. बाड़ी	18.0				
8. सुल्तानपुर	70.0				
9. उदयपुरा	32.0				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	130.5		4. (1) सोयाबीन 2% कम, धान 2% अधिक, मक्का 2% अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. भैसदेही	64.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है. 2%		
3. घोड़ाडोंगरी	65.5				
4. शाहपुर	96.1				
5. चिचोली	87.8				
6. मुल्ताई	51.8				
7. आठनेर	19.4				
8. आमला	57.0				
9. प्र.पट्टन	44.8				
10. भीमपुर	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	67.8		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, तुअर, गन्ना, तिल, ज्वार, मूँगफली, मूँग,	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	82.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई 15% 20% 40%		
3. बावई	47.0				
4. इटारसी	46.0				
5. सोहागपुर	34.5				
6. पिपरिया	1.8				
7. बनखेड़ी	74.8				
8. डोलरिया	24.2				
9. पचमढ़ी	47.2				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	26.7		4. (1) सोयाबीन समान. उड़द, मूँग कम. मक्का अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	56.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई 50%		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	45.4				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) धान 15% कम, मक्का 30% अधिक, तुअर 40% कम, उड़द 10% कम, मूँग 70% कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	58.3		(2) उपरोक्त फसलें धान 5% सुधरी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान.		
3. सीहोरा	81.0				
4. पाटन	13.6				
5. मझौली	12.5				
6. शाहपुरा	31.5				
7. पनागर	41.0				
8. अधारताल	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	58.4		4. (1) धान, तिल, उड़द, मक्का, तुअर.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	65.2		(2) . .		
3. रीठी	81.2				
4. बड़वारा	102.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	108.8				
6. विजयराघवगढ़	71.0				
7. बरही	16.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	27.0			4. (1) गन्ना 5% कम, धान 5% अधिक, तुअर 5% अधिक, उड़द 40% कम, मूंग समान. सोयाबीन 30% कम.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. गोटगांव	100.0			(2) ..		
3. करेली	52.0			3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
4. गाडरवारा	54.0			4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
5. तेंदूखेड़ा	26.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	16.2			4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	91.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
3. बिछिया	15.3			3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
4. निवास	2.0			4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन, तुअर समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
5. नारायणगंज	19.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. घुघरी	25.5			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2	..	4. (1) मक्का 5% अधिक, सोयाबीन समान. धान 20% कम, मूंगफली 10% कम.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	17.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
2. शाहपुरा	24.7			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
3. बजाग	13.8			4. (1) मक्का 5% अधिक, सोयाबीन समान. धान 20% कम, मूंगफली 10% कम.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
<b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2	..	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
1. छिन्दवाड़ा	17.9			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. तामिया	44.0			4. (1) मक्का 5% अधिक, सोयाबीन समान. धान 20% कम, मूंगफली 10% कम.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
3. परासिया	36.4			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जुनारदेव	56.0			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
5. सांसर	52.0			4. (1) मक्का 5% अधिक, सोयाबीन समान. धान 20% कम, मूंगफली 10% कम.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
6. बिछुआ	4.9			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
7. अमरवाड़ा	7.2			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
8. चौरई	30.3			4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, गन्ना कम. मक्का, मूंग अधिक.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
9. उमरेठ	68.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
10. मोहखेड	41.2			3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
11. हरई	53.0			4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, गन्ना कम. मक्का, मूंग अधिक.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
12. चांद	24.1			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
13. पांडुर्णा	118.6			3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2	..	4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, गन्ना कम. मक्का, मूंग अधिक.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
1. सिवनी	21.4			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
2. बरघाट	13.0			3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
3. कुरई	30.0			4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
4. कवलारी	21.2			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. लखनादोन	17.3			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
6. छपारा	9.7			4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
7. धनोरा	13.2			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
8. घंसोर	13.0			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2	..	4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	5.6			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
2. लाँजी	55.1			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
3. किरनापुर	29.4			4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
4. बैहर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. वारासिवनी	26.4			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
6. कटंगी	26.8			4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
7. लालबर्गा	5.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
8. तिरोडी	72.6			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
9. परसवाड़ा	48.1			4. (1) धान समान.	6.(अ)स्तोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
10. बिरसा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
11. खैरलाँजी	40.0			3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

(1138)